

प्रेस नोट

दिनांक 05.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.11.2022 को उ0नि0 उमेश मिश्रा थानाध्यक्ष संग्रामपुर मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु तथा वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 1182/17 धारा 354क,506,452,376 भादवि में वांछित फरार चल रहे अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र स्व0 रामफेर सिंह उर्फ कोलई सिंह निवासी ग्राम टिकरिया मजरे भौसिंगपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 41 वर्ष को सहजीपुर मोड़ क्रॉसिंग के पास से समय करीब 12:05 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित व 25 हजार रुपये का ईनामिया है जो विगत पांच वर्षों से फरार चल रहा था । थाना संग्रामपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- भूपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र स्व0 रामफेर सिंह उर्फ कोलई सिंह निवासी ग्राम टिकरिया मजरे भौसिंगपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 1182/17 धारा 354क,506,452,376 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 उमेश मिश्रा थानाध्यक्ष संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 अभिनेष कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 शेष बहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 प्रतीक सचान थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 पुनीत खोखर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 515/2003 धारा 302/307/504/506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।